<u>प्रेस नोट दिनाँक-16.09.2020</u>

(1). आज दिनाँक-16.09.2020 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा भरतकूप तिराहा पर 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग करायी गयी। चेकिंग के दौरान सभी वाहनों को रोककर संदिग्ध व्यक्तियों की फिजिकल चेकिंग की गयी एवं 02 पहिया वाहन में बिना हेल्मेट एवं बिना मास्क लगाने वाले वाहन चालकों को हेल्मेट एवं मास्क लगाने हेतु हिदायत दी गयी।

चेकिंग के दौरान श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप, श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी पीआरओ0 एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). आज दिनाँक-16.09.2020 को श्री अंकित मित्तल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री प्रकाश स्वरूप पाण्डेय अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में यू0पी0टी0 तिराहा पर एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान अवैध वस्तुओं एवं अवैध असलहे के दृष्टिगत सभी वाहनों को रोककर संदिग्ध व्यक्तियों की फिजिकल चेकिंग की गयी एवं 02 पहिया वाहन में बिना हेल्मेट एवं बिना मास्क लगाने वाले वाहन चालकों को हेल्मेट एवं मास्क लगाने हेतु हिदायत दी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा लेहदुआ गनीवा मोड से अभियुक्त 1. राधेश्याम पुत्र देवकुमार निवासी हडिया 2. पापुली पुत्र रामनरेश निवासी गोहानी कलां थाना राजापुर चित्रकूट को 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

600 ग्राम अवैध गांजा

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. श्री अजय जायसवाल चौकी प्रभारी गनीवा
2. आरक्षी दिनेश
3. आरक्षी विमलेंद्र

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अकुंश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री फिरोज खान तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. कमलेश निषाद पुत्र कैलाश व अभियुक्त 2. सूरज निषाद पुत्र श्याम को 11 विस्फोटक सेल व 11 इलैक्ट्रानिक डेटानेटर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना भरतकूप में धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

11 विस्फोटक सेल व 11 इलैक्ट्रानिक डेटानेटर

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 फिरोज खान थाना भरतकूप
2. उ0नि0 दिनेश चंद्र तिवारी
3. आरक्षी इकबाल अहमद
4. आरक्षी वीरेंद्र प्रताप सिंह

(5). दिनांक 16.09.2020 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर पति-पत्नी में सुलह कराते हुये शादी के अटूट बन्धन को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती मनीषा देवी पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी पिपरौंध थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा रजिस्ट्री के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति श्री धर्मेन्द्र कुमार व ससुर उसके साथ मारपीट गाली गलौज कर दहेज की मांग करते है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्री बैजनाथ सिंह, मुख्य आरक्षी अरुण कुमार तथा महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा पत्नि श्रीमती मनीषा देवी की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर, पति श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ससुर से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस अधीक्षक कार्यालय बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया । पति श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं ससुर श्री कामता द्वारा भविष्य में अपनी पत्नि/बहू से विवाद न करने की बात कही। दोनों पक्षों में आपसी सुलह होने पर पुलिस द्वारा दोनों को साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं पति-पत्नी के कर्तव्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी तथा यह भी कहा गया कि आपस में तारतम्यता बनाकर कर रहें ।